अत्यावश्यक
ई–मेल / सपीड पोस्ट

पत्रांकः–3प / SQM-DQM–19–01 / 2023 / 33(स्था) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24 / 7 / 2025

विषयः– पंचायती राज विभाग अंतर्गत संविदा के आधार पर सेवानिवृत अभियंताओं को राज्य क्वालिटी मॉनिटर (SQM) एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के तकनीकी पदों पर नियोजित पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2025–26 का मानदेय एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया राशि के भुगतान हेतु भुगतेय राशि कुल–91,97,518.00 (एकानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ अठारह) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

प्रसंगः– विभागीय संकल्प संख्या–4864 दिनांक–05.09.2018, विभागीय आदेश संख्या–280 दिनांक–28.09.2022 एवं वि०आ०सं०–08, दिनांक–11.01.2023

आदेशः– स्वीकृत।

2. पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय इकाई के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत तकनीकी पदों पर नियोजित राज्य क्वालिटी मॉनिटर (SQM) तथा जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) को निर्गत प्रासंगिक विभागीय परिपत्र के अधीन, वित्तीय वर्ष 2025–26 का मानदेय राशि का भुगतान किया जाना है। इनके मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के **कुल–91,97,518.00 (एकानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ अठारह)** रूपये मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

क्र० सं०	SQM/DQM पदाधिकारी का नाम	कार्यालय पदस्थापन का नाम	अंतिम मूल वेतन (₹ में)	प्रतिमाह भुगतेय राशि (₹ में)	वित्तिय वर्ष 2025–26 हेतु राशि	कुल आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	श्री भूपेश प्रसाद सिंह, SQM	भागलपुर प्रमंडल	134500	88097	1057164	1057164
2.	श्री अभय कुमार गुप्ता, DQM	गया	102500	68675	824100	824100
3.	श्री सेराज अहमद, DQM	गोपालगंज	122900	78656	712978 (02 जनवरी 2026 तक)	712978
4.	श्री कालीका प्रसाद, DQM	भोजपुर	115800	75849	910188	910188
5.	श्री शिवरतन प्रसाद सिंह, DQM	सीतामढ़ी	96900	62016	686177 (02 मार्च 2026 तक)	686177
6.	श्री सुरेश कुमार झा, DQM	खगड़िया	138500	95565	1146780	1146780

E:\kishan\Letters 701-2.doc 19

क्र०पृ०उ०

7.	श्री सुनील कुमार सिंह, DQM	किशनगंज	130600	85543	1026516	1026516
8.	श्री सुभाष राय, DQM	सिवान	138500	88640	809197 (04 जनवरी 2026 तक)	809197
9.	श्री जंगबहादुर सिंह, DQM	कैमूर	105900	70953	851436	851436
10.	श्री राम रतन राम, DQM	सुपौल	109100	71460	857520	857520
11.	श्री श्रीनिवास सिंह, SQM (सेवामुक्त)	तिरहुत प्रमंडल (अतिरिक्त प्रभार– मुख्यालय)	130600	79013	64314 (दिनांक– 14.03.2025 से 07.04.2025 तक कुल 25 दिन)	64314
12.	श्री उदय शंकर प्रसाद, DQM (सेवामुक्त)	कार्यालय जिला परिषद, लखीसराय के पत्रांक–677, दिनांक–18.06.2025 द्वारा सेवामुक्त जिला क्वालिटी मॉनिटर, श्री उदय शंकर प्रसाद के वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल **₹ 251148.00** का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।				251148
कुल–91,97,518.00 (एकानवे लाख संतानवे हजार पाँच सौ अठारह)						

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198 ग्राम पंचायतों को सहायता–उप शीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना मद के विषय शीर्ष–0113.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" से वित्तीय वर्ष 2025–26 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या–16 एवं विपत्र कोड संख्या–16–2515001980113 है।

4. इस स्वीकृत राशि के क्रमांक–1 पर अंकित SQM के लिए निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे तथा क्रमांक–2 से 10 एवं 12 पर अंकित DQM के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से, बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। क्रमांक–11 पर अंकित सेवामुक्त राज्य क्वालिटी मॉनिटर के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–371, दिनांक–15.12.2022 के आलोक में SQM को मानदेय का भुगतान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, संबंधित आयुक्त कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर करेंगे एवं DQM के मानदेय का भुगतान संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर करेंगे।

6. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

लगातार....

7. पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–10(स्वी०), दिनांक–05.05.2025 को निरस्त किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2017 के आलोक में राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–3प/SQM-DQM/–19–01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–..69../टि० पर दिनांक–30/06/25 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–3प/SQM-DQM/–19–01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–..70..../टि० पर दिनांक–15/07/25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3प/SQM-DQM/–19–01/2023/33(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक–24/7/2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3प/SQM-DQM/–19–01/2023/33(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक–24/7/2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3प/SQM-DQM/–19–01/2023/33(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक–24/7/2025

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3प/SQM-DQM–19–01/2023/33(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक–24/7/2025

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव